357

संख्या– 1933 /XVIII-(2)/16-1(20)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 16 अगस्त, 2016

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन एवं वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–290/DMMC/XIV-18(2016-17), दिनांक 25.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन हेतु ₹ 66.67 लाख की बजट व्यवस्था की गई थी, जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में कुल प्राविधानित ₹ 200.00 लाख की धनराशि में से लेखानुदान मद से अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 133.33 लाख (₹ एक सौ तैंतीस लाख, तैतीस हजार मात्र) की धनराशि के आहरण एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत मदों में ही किया जायेगा, धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. का उत्तरदायित्व होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय मासिक किस्तों के आधार पर वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वर्षान्त पर कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
4. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5)

3— उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2016—17 के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि अवचनबद्ध मदों के अंतर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस हेतु उदाहरणार्थ फर्नीचर, साज—सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल, डीजल आदि विभिन्न मदों में आसानी से बचत की योजना बनायी एवं कियान्वित की जा सकती है, जैसे कच्चे कार्य हेतु एक ओर उपयोग किये जा चुके कागज का प्रयोग किया जाना, आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त मात्रा में पूर्व से फर्नीचर होते हुये बार—बार फर्नीचर क्रय से बचना, विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग रोकना, लम्बी यात्राओं हेतु सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग करना, गाड़ी का अनावश्यक प्रयोग रोकने आदि के प्रयास किये जायेंगे।

4— इस संबन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के अनुदान संख्या—06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—07—आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र—आयोजनेत्तर —00—42—अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—847/XXVII (1)/2016, दिनांक 26 जुलाई,2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या—1933 (1)/XVIII-(2)/16-01(20)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— वित्त अनुभाग—1/5, उत्तराखण्ड शासन।
9—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव